रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062025-263624 CG-DL-E-05062025-263624

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

No. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2025

सा.का.िन. 369(अ).— विस्फोटक अधिनियम,1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों के प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, एतदद्वारा उन सभीव्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचनावाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में, यदि कोईआपत्तियां या सुझाव हों तो,निदेशक(विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 252ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली– 110 011 को या ईमेलexpl-dipp@nic.in द्वारा ऊपर उल्लिखित अविध के भीतर भेजे जा सकते हैं।

3669 GI/2025 (1)

उक्त प्रारूप नियमोंके बारे में, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरिकसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम तौर पर प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. विस्फोटक नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)में (i)नियम 83 के उपनियम (4) में खण्ड (क) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
 - "(क) एक मंजिला इमारत के भूतल पर स्थित हो, जिसमें स्वतंत्र/एकमात्र गतिविधि हो, जिसमें स्वतंत्र प्रवेश और खुली हवा में आपातकालीन निकास हो और बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे हों;"
- 3. उक्त नियमों के नियम 86 में उपनियम (3) में:-
 - (क) शब्द "दुकान- " के पश्चात् अक्षर "(क)" अंत:स्थापित किया जाएगा।
 - (ख) शब्द "सामग्री" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ख) स्वतंत्र आतिशबाजी की दुकान को किसी भी समीपवर्ती संरचना या भवन से न्यूनतम 3 मीटर की पूरी तरह खुली दूरी बनाए रखनी होगी;
 - (ग) आतिशबाजी की दुकान को संरक्षित कर्मशाला (वर्क्स) से न्यूनतम 50 मीटर की स्पष्ट दूरी बनाए रखनी होगी: बशर्ते किनिम्नलिखित अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करने पर,विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत प्रपत्र एलई-5 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने वाली तथा इन नियमों के प्रकाशन की तिथि को विद्यमान आतिशबाजी की दुकानों पर इन नियमों की कोई बात लागू नहीं होगी।
 - i. अग्नि डिटेक्शन प्रणाली: दुकान में स्वचालित अग्नि डिटेक्शन और अलार्म प्रणाली (धुएं और ताप के संयोजन वाले पारंपरिक डूअल प्रकार के 2 डिटेक्टर) ऑटो-डायलर के साथ इस प्रकार संस्थापित होनी चाहिए, जिससे आग लगने की स्थिति में दुकान के मालिक और अग्निशमन विभाग (निकटतम अग्निशमन केंद्र) को सूचित किया जा सके। डिटेक्टरों को बीआईएस/किसी अन्य समतुल्य मानक के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
 - ii. वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम: पटाखों की सभी मौजूदा दुकानों में आग बुझाने के लिए स्टैंडअलोन स्वचालित पोर्टेबल/ग्रेविटी से चलने वाला वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 300-400 लीटर पानी की भंडारण क्षमता हो और जो न्यूनतम 2 एचपी रेटिंग वाले पंप से जुड़ा हो। स्टैंडअलोन सिस्टम के लिए वैकल्पिक बिजली आपूर्ति या बैटरी बैकअप प्रदान किया जाना चाहिए और पहले से स्थापित फिक्स्ड हाइड्रेंट सिस्टम के मामले में सिस्टम से एक टैपिंग/एक्सटेंशन लिया जा सकता है। संपूर्ण सिस्टम को बीआईएस/किसी अन्य समतुल्य मानक के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
 - iii. इलेक्ट्रिक पैनल सुरक्षा प्रणाली: बड़े आकार के केंद्रीकृत इलेक्ट्रिक पैनल के मामले में, इसे सुरक्षित रखने के लिए एक स्वचालित ट्यूबिंग सिस्टम (क्लीन एजेंट गैस आधारित) के साथ संस्थापित किया जाना चाहिए। डिटेक्शन ट्यूब को 80-90 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे तेज सेंसिंग करनी चाहिए और सक्रिय हो जाना चाहिए। ट्यूब और गैस को बीआईएस/किसी अन्य समतुल्य मानक के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
 - iv. अग्नि सुरक्षा: दुकान की दीवारों, छत और दरवाजों पर अग्निरोधी पेंट / अग्निरोधी सामग्री की कोटिंग होनी चाहिए ताकि कम से कम 30 मिनट की अग्नि रेटिंग मिल सके। एफआर सामग्री को बीआईएस /िकसी अन्य समतुल्य मानक के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

- v. विद्युत सुरक्षा: दुकान में कन्सील विद्युत वायरिंग (अग्नि सुरक्षित केबल / अग्निरोधी न्यून स्मोक प्रकार) होनी चाहिए। सभी विद्युत फिटिंग स्पार्क/फ्लेम प्रुफ होनी चाहिए।
- vi. विद्युत लेखा परीक्षा: सभी पटाखों की दुकानों का वार्षिक विद्युत लेखा परीक्षा होना चाहिए, जो राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणित योग्य व्यक्ति/विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। विस्फोटक नियम, 2008 के तहत लाइसेंस के आगे नवीनीकरण के लिए ऐसा प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए।
- 4. उक्त नियम 112 के उप नियम 3 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"बशर्ते कि लाइसेंस के नवीकरण से पहले लाइसेंस प्राधिकारी नियमों के फार्म एलई-5 के लाइसेंसधारक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों को निष्पादित करने के लिए कहेगा, जो ऐसे प्राधिकारी के मत में परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, लाइसेंसधारक ऐसी अविध के भीतर इन प्रावधानों को निष्पादित करेगा, जो नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने से कम नहीं होगी, जैसा कि नोटिस द्वारा निर्धारित किया जा सकता है" और उसे ऊपर उल्लिखित क्रम संख्या 3 (ग) (i) से (vi) में उल्लिखित अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

[फा. सं. 2(3)/2019-विस्फोटक-भाग (1)] डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 907(अ) दिनांक 29 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 772 (अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 17 (अ) दिनांक 9 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 633 (अ) दिनांक 11 अक्तूबर, 2024 तथा सा.का.नि. 284 (अ) दिनांक 24 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2025

G.S.R. 369(E).— The draft of the following rules to amend the Explosives Rules, 2008, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252A Udyog Bhavan, New Delhi –110 011 or email: expl-dipp@nic.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

- 1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules) (i) in rule 83, in sub-rule (4), for clause (a), the following clause shall be substituted namely:-

- "(a) be located on the ground floor of a single storied building with independent/standalone activity having independent entrance and emergency exit from open air and having doors opening outwards;".
- 3. In rule 86 of the said rules, in sub-rule (3):-
 - (a) After the word "Shop- "the alphabet "(a)" shall be inserted.
 - (b) after the word "materials" following shall be inserted namely:-
 - "(b) The independent fireworks shop shall observe a minimum 3 meters open-to-sky clearance from any adjacent structure or building;
 - (c) The fireworks shop shall observe a minimum of 50 meters clear distance from the protected works:

Provided that nothing in these rules shall apply to the fireworks shops covered under licensed FORM LE-5 issued under the Explosives Rules, 2008 and existed on the date of publication of these rules" by following the under mentioned fire safety requirements.

- i. **Fire Detection System**: The shop should be installed with automatic fire detection and alarm system (2 nos. conventional dual type detectors having combination of smoke & heat) with auto-dialler for communicating to the shop owner and the fire department (nearest fire station), in case of any fire incident. Detectors should be approved by BIS/any other equivalent standard.
- ii. **Water Sprinkler System**: All existing fireworks shops should install standalone automatic portable / gravity fed water sprinkler system for fire suppression with minimum water storage capacity of 300-400 liters connected with a pump of minimum rating 2 HP. Alternate power supply or battery backup has to be provided for standalone system and in case of already installed fixed hydrant system one tapping / extension can be taken from the system. Entire system should be approved by BIS/ any other equivalent standard.
- iii. **Electric Panel Protection System**: In case of a centralised large electric panel, it should be installed with an automatic tubing system (clean agent gas based) for protecting it. Detection tube should do fastest sensing between 80-90 degree C and get activated. Tube and gas should be approved by BIS/any other equivalent standard.
- iv. **Fire Prevention**: The walls, ceiling and doors of the shop should be treated with fire retardant paint / flameproofing material coating to provide minimum 30 minutes fire rating. FR material should be approved by BIS/any other equivalent standard.
- v. **Electrical Safety**: The shop should have concealed electric wiring (fire survival cables / fire retardant low smoke type). All electric fittings should be spark / flame proof.
- vi. **Electrical Audit**: All fireworks shops should be subjected to electrical audit annually to be conducted by a certified qualified person / electrical inspector recognised by state electricity board. Such certificate should be mandatory for further renewal of the license under Explosives Rules, 2008.".
- 4. In rule 112 of the said, in sub-rules 3, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the licensing authority before renewal of license shall call upon the holder of a license in FORM LE-5 of the rules, by a notice in writing to execute additional safety provisions which are, in the opinion of such authority, necessary for safety of the premises, the holder of the license shall execute the provisions within such period, not being less than three months from the date of receipt of the notice, as may be fixed by the notice" and to follow the fire safety requirements mentioned above in Serial No. 3 (c) (i) to (vi)."

[F. No. 2(3)/2019-Expl-Part(1)]

 $\label{eq:continuous} \mbox{Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.}$

Note: The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), vide notification number, G.S.R. 907 (E) dated the 29th December 2008 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 65 (E) dated 24th January, 2011, G.S.R. 772 (E), dated the 11th December, 2013, G.S.R. 17(E) dated 9th January 2019, G.S.R. 633 (E) dated 11th October, 2024 and G.S.R. 284 (E) dated 24th April, 2025.